<u>न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी</u>

प्रकीर्ण वाद संख्या. 184/2019

मु. अ. सं.- 515/2018

शिवशंकर मोदनवाल बनाम विनोद कुमार

दिनांक- 30.09.2023

पत्रावली पेश हुई। वादी मुकदमा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.09.2023 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अनजाने में विपक्षी के ऊपर आरोप लगाया था। वह भूलवश हो गया था। जिसके वावत प्रार्थी व उसकी पुत्री ने अपना बयान दरोगा जी के सामने दिया था कि अपने माता-पिता के बिना बताये प्रार्थी की पुत्री अपनी नानी के घर चली गई थी। जब प्रार्थी की पुत्री का मन नानी के यहां नहीं लगा तो फोन करके अपने पापा को बुला कर घर गई थी। हम किसी विनोद के साथ नहीं गये थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा इस मुकदमे पर कोई बल नहीं दिया जाता इसको समाप्त कर दिया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना रोहनिया, वाराणसी में मु.अ.सं. **515/2018** अं. धारा 363,366,506,507,भा. दं. सं. दर्ज करके विवेचना की गयी एवं वादी मुकदमा व उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य अंकित करते हुये नक्शा नजरी बनाकर सम्यक विवेचना की गयी है एवं घटना से संबंधित तथ्यों की पुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर विवेचनाधिकारी द्वारा अंतिम आख्या प्रेषित किया गया जिस पर वादी द्वारा बहलफ बयान कि कि मुझे आगे कोई कार्यवाही नहीं करनी है। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जावे। अतः पुलिस द्वारा सम्प्रेषित पुलिस आख्या स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया विवेचना में कोई त्रुटि नहीं है और विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने से वादी मुकदमा को कोई भी आपत्ती नहीं है। अतः अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विवेचक द्वारा मु.अ.सं. **515/2018** अं. धारा 363,366,506,507 भा. दं. सं. थाना रोहनिया, वाराणसी में प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

(शिखा यादव)
J.O. Code UP 2252
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।